रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1279] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 7, 2011/आषाढ़ 16, 1933
No. 1279] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 7, 2011/ASADHA 16, 1933

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2011

का.आ. 1548(अ).— जबकि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम (1993 की संख्या 73) (जिसे इसमें इसके बाद एन.सी.टी.ई. अधिनियम कहा गया है) की धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के प्रावधानों के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को दिनांक 2 जून, 2011 के अपने पत्र के जरिये एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया था जिसमें परिषद से तीस दिन की अवधि के भीतर उसका जवाब देने के लिए कहा गया था।

2. जबकि कारण बताओ नोटिस में यह सिद्ध करने वाली अनेक बातों का उल्लेख किया गया था कि परिषद अपने कार्यों के निष्पादन में अक्षम रही है, इस अधिनियम के अंतर्गत उसे सुपुर्द किए गए कर्त्तव्यों के निर्वाह में निरंतर असफल रही है और एनसीटीई अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में भी असफल रही है;

3. और जबकि परिषद ने केंद्र सरकार के कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब दिनांक 4 जुलाई, 2011 के अपने पत्र के जरिये दिया है;

4. और जबकि केंद्र सरकार ने कारण बताओ नोटिस पर परिषद द्वारा दिए गए जवाब, जिसमें एनसीटीई ने यह स्वीकार किया है कि "व्यापक कार्यसूची तैयार न किए जाने, प्रस्तावों के संबंध

में कमियों की सूचना विनिर्दिष्ट समय सीमा में संस्थाओं को देने और पर्यवेक्षण तथा अनुवीक्षण के अभाव के मामलों के निपटान में भारी कार्यविधि विषयक त्रुटियाँ हुई हैं", का विधिवत परीक्षण कर लिया है;

5. और जबकि उत्तर में एनसीटीई ने अनुरोध किया है कि सरकार धारा 30 के प्रावधानों को लागू करने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे क्योंकि परिषद अपने कार्यों को निष्पादित करने में पूरी तरह असफल नहीं रही है और केंद्र सरकार द्वारा जारी निदेशों की जानबूझकर कोई अवहेलना नहीं की गई है;

6. और जबकि मामले की सभी संगत तथ्यों एवं परिस्थितियों पर तथा धारा 30 की उपधारा (1) के परंतुक के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा परिषद को अवसर दिए जाने पर उसने जो उत्तर दिया उस पर विचार कर लेने के बाद केंद्र सरकार का यह मत है कि परिषद अपने कार्यों को उपयुक्त रूप से निष्पादित करने में अक्षम है, अधिनियम के द्वारा और उसके अंतर्गत उसे सुपुर्द कर्त्तव्यों का निर्वाह करने में लगातार विफल रहा है और केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2007 को जारी निदेशों का पालन करने में जानबूझकर और बिना किसी पर्याप्त कारण के असफल रहा है;

—

7. अतः अब, एनसीटीई अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा परिषद को इस अधिसूचना की तारीख से छह माह की अवधि के लिए अधिक्रमित करती है;

8. इसके अलावा, इसके परिणामस्वरूप और एनसीटीई अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के प्रावधानों के अनुसार :

(क) इस तथ्य के होते हुए भी कि उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, परिषद के सभी सदस्य अपने पद छोड़ देंगे;

(ख) एनसीटीई अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत परिषद द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों अथवा निष्पादित किए जाने वाले सभी कार्यों को अधिक्रमण की अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा यथानिर्दिष्ट व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा;

(ग) परिषद की समस्त संपत्ति अधिक्रमण की अवधि के दौरान केंद्र सरकार की संपत्ति होगी।

9. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. 26-67/2009-ईई-10]

डॉ. अमरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2011

S.O. 1548(E).— Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of section 30 of the National Council for Teacher Education, Act (No. 73 of 1993) (hereinafter referred to as the NCTE Act), issued a show cause notice to the National Council for Teacher Education (NCTE) vide its letter dated the 2nd June, 2011 requesting the Council to furnish its reply within a period of thirty days.

2. Whereas in the show cause notice, several instances were cited to establish that the Council has been unable to perform its functions, had consistently defaulted in the performance of the duties imposed on it under the Act and also failed to comply with the directions issued by the Central Government under section 29 of the NCTE Act;

3. And whereas, the Council, vide its letter dated the 4th July 2011, submitted its reply in response to the show-cause notice of the Central Government;

4. And whereas, the Central Government has duly examined the reply given by the Council to the show cause notice wherein the NCTE has admitted that 'there have been gross procedural lapses in processing of cases in terms of non-preparation of comprehensive agenda, intimation of deficiencies on the proposals to the institutions within specified time frame and lack of supervision and monitoring';

5. And whereas, the NCTE has requested in the reply that the Government may reconsider its decision to invoke the provisions of section 30 as the Council has not totally failed to perform its functions and there has been no wilful non-compliance to the directions issued by the Central Government;

6. And whereas, the Central Government, after considering all the relevant facts and circumstances of the case and the reply given by the Council to the opportunity accorded to it by the Central Government under proviso to sub section (1) of section 30 is of the opinion that the Council is unable to perform its functions properly, has persistently defaulted in the performance of the duties imposed on it by and under the Act, and has wilfully and without sufficient cause failed to comply with the directions issued by the Central Government on the 22nd November, 2007;

7. Now therefore, in exercise of the powers, conferred under sub-section (1) of section 30 of the NCTE Act, the Central Government hereby supersedes the Council, for a period of six months from the date of this notification;

8. Further, as a consequence thereof and as per the provisions of sub-section (2) of section 30 of the NCTE Act;

(a) all the Members of the Council, notwithstanding the fact that their term of office has not expired shall vacate their offices;

(b) all the powers of and duties which may, by or under the provisions of the NCTE Act be exercised or performed by or on behalf of the Council shall, during the period of supersession, be exercised by such person or persons as the Central Government may direct;

(c) all property vested in the Council shall, during the period of supersession, vest in the Central Government.

9. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 26-67/2009-EE-10]

Dr. AMARJIT SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.